कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर उज्जैन संभाग उज्जैन

क्रमां/ उपा/वाक/6/लेखा/2015/ 1690 उज्जैन, दिनांक 5-9-15

:: प्रथम निविदा आमंत्रण ::

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन त[illegible] उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किराये पर चार टैक्सी वाहन लिये जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के सा[illegible] निविदाएं आमंत्रित है–

(1) दो वाहन के लिए मुख्यालय शहर उज्जैन होगा, एक वाहन के लिए मुख्यालय देवास शहर होगा । एक वाहन ऐसा होगा जिसके लिए मुख्यालय 15 दिवस शाजापुर शहर होगा, और 15 दिवस राजगढ शहर होगा।

(2) टैक्सी वाहन की कीमत रूपये 5.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) प्रतिमाह 1000 किलोमीटर तक वाहन चालन के लिए निविदा में फिक्स मासिक किराया दिखाया जाए। 1000 किलोमीटर से अधिक वाहन चालन हेतु प्रति किलोमीटर की दर [illegible] जाए।

(4) मुख्यालय शहर में वाहन चालन के लिए Fixed Charge तथा मुख्यालय शहर से बाहर वाहन चालन के लिए Veriable Charge निविदा में दिये जाये।

(5) वाहन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए किराये पर रहेगा।

(6) वाहन R.T.O. में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए।

(7) निविदाकर्ता का Service Tax हेतु पंजीयन होना चाहिए।

(8) वाहन एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(9) निविदाकर्ता का रजिस्ट्रेशन आर.टी.ओ. में होना चाहिए।

(10) वाहन मय ड्रायवर एवं वाहन के सभी व्यय यथा ईधन एवं मरम्मत तथा समस्त करों के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित संस्था के वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक कमर्शियल वाहन चालन का लायसेसधारी होना चाहिए।

(11) प्रत्येक निविदा के साथ रूपये 2000/– की धरोहर राशि का Account Payee Bank Draft संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन संभाग उज्जैन के नाम का प्रस्तुत करना चाहिए, जो निविदा के सीलबंद लिफाफे से बाहर रहेगा तथा पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।

(12) निविदा से संबंधित शेष शर्ते कार्यालयीन समय में निविदा जारी कर्ता के कार्यालय देखी जा सकती हैं।

उपरोक्तानुसार सीलबंद निविदाएं इस कार्यालय में **दिनांक 25.8.2015 को दोपहर 1.00 बजे तक** प्राप्त हो जानी चाहिए। **प्राप्त निविदाएं दिनांक 25.8.2015 को दोपहर 03.00 बजे** निविदाकर्ताओं के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जाऐगी। निविदा खोले जाते समय निविदा कर्ता अथवा उसके प्रतिनिधी की उपस्थिति प्रार्थनीय है एवं निविदाकर्ता को उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्रो की यथा आरटीओ एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा जारी किये रजिस्ट्रेशन आदि की मूल प्रतियां एवं छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगी।

संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
उज्जैन संभाग उज्जैन

पताः– कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
प्राधिकरण भवन तीसरी मंजिल भरतपुरी उज्जैन
दूरभाष क्रमांक 0734–2510284